

डिगरी व मुकदमे हब्तदाई
(आ 2 रुल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत - सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी-खेरवाडा, जिला-उदयपुर (राज.) व इजलास -
श्री सत्य नारायण-I (RAS)

श्री नाना पिता उदा मीणा (फौत) वगैरह निवासी - लराठी, तहसील- खेरवाडा जिला- उदयपुर (राज.)

1 से 6 तक

बनाम

श्री धुला पिता हकरा वगैरह निवासी- लराठी, खेरवाडा, तहसील- खेरवाडा, जिला- उदयपुर (राज.)

क.स.1 से 07 तक

दावा- अन्तर्गत धारा 88,188 व 209 रा.टि.एक्ट बाबत घोषणा, खातेदारी अधिकार, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई
निषेधाज्ञा।

मुकदमा नम्बर -09/2011 रा.वा.

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु-

मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि डिकी दी जाती है कि

माम - वादीगण का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी अदम शहादत खारिज किया जाता है।

बलिया - --- वाबत --- खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शहर-
--- फसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसुलीणबी तक - का अदा
रें।

बसबत मेरे दस्तखत व मूहर अदालत से आज तारीख 17 माह 01 सन् 2025 को
री की गई।

दस्तखत -

ओहदा -

Saty...
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

ई रुपया पैसा मुदायता रुपया पैसा

ग्रम्प अरजी दावा = 6:00/-

ग्रम्प वकालतनामा = 2:00/-

ग्रम्प वजह सबुत

इनताना वकील (फा.)

बत इजराय हुकमनामा = 2.00/-

र्चा गवाहान

स कमिश्नर

फरिफरिफ = 4.00/-

स्टाम्प अरजी वकालत नामा = 2:00/-

स्टाम्प अरजी

स्टाम्प वजह सबुत

महनताना वकील (फा.)

वाबत इजराय हुकमनामा

खर्चा गवाहान

फीस कमिश्नर

मुतफरिफ

लान :- 14:00/-

मीजान :- = 2:00/-